न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **06 / 2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री जमना लाल पुत्र ओंकार लाल शर्मा निवासी बिहारी निकुंज रामनगर कॉलोनी, शाहपुरा भीलवाडा	**बनाम**	1. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाड़ा 2. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 18.03.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 18.01.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 927023 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 16.08.2018 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान,सम्पर्क पोर्टल राजस्थान सरकार जयपुर को को प्रेषित किया। आवेदित सूचनायें दिये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटडी एवं तहसीलदार कोटडी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 22.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी एवं तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी कोटडी एवं तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा से दिनांक 18.03.2019 तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। उक्त आवेदन पत्र के अंतर्गत अपीलार्थी को दिनांक 18.01.2019 तक वांछित सूचना की प्रतिलिपि नियमानुसार 30 दिवस में प्राप्त नही होना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने इस हेतु दिनांक 18.03.2019 को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया ।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये 15 दिवस में अपीलान्ट को प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटडी एवं तहसीलदार कोटडी द्वारा सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। प्रत्यर्थी को भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटडी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाडा